

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 595]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2015/आश्विन 6, 1937

No. 595]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2015/ASVINA 6, 1937

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 739(अ).—केंद्र सरकार सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 7 की उप-धारा (1), धारा 8, धारा 9 की उप-धारा (2), धारा 10 तथा धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शुद्धिपत्र सा.का.नि. 228(अ), दिनांक 26 मार्च, 2015 का अधिक्रमण करते हुए, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) संशोधन नियमावली, 2014 में नियम 1 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

"(2) ये नियम 1 अप्रैल, 2016 से लागू होंगे।"

[फा. सं. पी-16011/05/2012-पी.एच-1]

के. सी. सामरिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2015

G.S.R. 739(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7, section 8, sub-section (2) of section 9, section 10 and section 31 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003) and in supersession of the corrigendum G.S.R. No. 228(E) dated 26th March, 2015, in the Cigarettes and Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2014, for sub-rule (2) of rule 1, the following shall be substituted, namely:—

"(2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2016."

[F. No. P-16011/05/2012-PH-I]

K. C. SAMRIA, Jt. Secy.